पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० डा० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री लक्ष्मी नारायण यादव, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स०	"वित्तरहित शिक्षा नीति के कारण राज्य के 240 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, 507 प्रास्वीकृत/अनुशंसित/अनुज्ञाप्राप्त इण्टरमीडिएट महाविद्यालय तथा वित्तरहित 715 माध्यमिक विद्यालयों के 70 हजार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्षो से आर्थिक तंगी में जी रहे हैं । 25-30 वर्षो से सेवा में रहने के बावजूद उन्हें न तो वेतन मिल रहा है और न ही उनकी सेवा सुरक्षित हो पा रही है । वर्ष 2008 में सरकार द्वारा विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को आधार बनाकर इन विद्यालयों / महाविद्यालयों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया जो दो वर्षो के बाद प्राय: बंद है । फलस्वरूप शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भीषण आर्थिक कठिनाई है । इनलोगों ने दिनांक 09.07.2014 को विधान मंडल के सामने विशाल प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन घेराव करने का कार्यक्रम बनाया है । अत: वित्तरहित शिक्षा नीति के चलते हजारों शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को समय पर वेतन का भुगतान एवं उनकी सेवा सुनिश्चित करने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

1	2	3	4
3.	डॉ० अच्युतानन्द, म०वि०स० श्री विक्रम कुँवर, म०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, म०वि०स० श्रीमती आशा देवी, म०वि०स० श्री सुरेश कुमार शर्मा, म०वि०स०	"राज्य के मुजफ्फरपुर और गया में पिछले 8 वर्षों से कथित जापानी इनसेफलाइटिस से प्रत्येक वर्ष लगभग 300 से ज्यादा बच्चे मर रहे हैं । इस वर्ष इस गंभीर बीमारी से वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर सहित कई अन्य जिले भी प्रभावित हो गए हैं । इस गम्भीर बीमारी की रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास विफल रहा है और अभी तक इस रोग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है । अत: इस अत्यन्त गंभीर बीमारी के रोकथाम एवं उच्च कोटि के इलाज की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	स्वास्थ्य

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/14- 959 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/14- 959 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

1/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

1/7/14